RCT 51/2021
शासन विरूद्ध प्रेमनारायण

न्यायालय–अदिति अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.)

Filling No. 250/2021
CNR MP39070003482021
Case No. RCT/51/2021
Filling Date **-22-02.2021**

शिकायतकर्ता	म.प्र. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बोड़ा जिला राजगढ़ (म.प्र.)
अभियोजन अधिकारी	**एडीपीओ**
अभियुक्तगण	प्रेमनारायण पिता बद्रीलाल रूहेला आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम कोडिया गोड थाना बोड़ा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.
अधिवक्ता	श्री लखन शर्मा अधिवक्ता।

घटना दिनांक	**09.02.2021**
प्रथम सूचना दिनांक	**09.02.2021**
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	**22.02.2021**
आरोप तर्क/अपराध विवरण दिनांक	**18.08.2023**
अभियोजन साक्ष्य/बचाव साक्ष्य यदि हो तो समाप्ति दि0	**06.03.2026**
अंतिम तर्क पश्चात निर्णय दिनांक	**अंतिम तर्क 08.07.2026 निर्णय 08.07.2026**
दण्डादेश दिनांक यदि हो तो	**-**

अभियुक्तगण का विवरण

Rank of Accused	Name of Accused	Date of arrest	Date of release on Bail	Charged	Whether acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone

							during Trial for purpose of section 428, Cr.P.C.
A1	प्रेमनारायण पिता बद्रीलाल रूहेला आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम कोडिया गोड थाना बोड़ा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र.			धारा 25आर्म्स एक्ट	दोषमुक्त		निरंक

अभियोजन साक्षियों की सूची

RANK	Name	NATURE Of Witness ness, Police Witness, Expert Witness, Panch Witness, Other Witness
	नारायण	साक्षी
	प्र.आरक्षक भंवरसिंह परमार	साक्षी
	आरक्षक श्यामलाल	साक्षी

बचाव साक्षी यदि हों तो

Rank	Name	Nature of Evidence

-	-	-

न्यायालयीन साक्षीगण

Rank	Name	Nature of Evidence
		(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness,Panch Witness,
PW 1	––	––

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

	Exhibit Number	Description
	EX P1	जप्ती पंचनामा
	EX P2	पुलिस कथन
	EX P3	गिरफतारी पंचनामा
	EX P4	रोजनामचा सान्हा
	EX P5	प्रथम सूचना रिपोर्ट

B. Defence:

1	Exhibit Number	Description
	Nil	Nil

C. Court Exhibits:

1	Exhibit Number	Description
	Nil	Nil

D. Material Objects:

1	Material Objects Number	Description

	Nil	Nil

—:: नि र्ण य ::—
(आज दिनांक 08.07.2026 को पारित)

———————————————————————————————

01— अभियुक्त पर इस आशय का आरोप हे कि उसने दिनांक 09.02.2021 को समय शाम 06:30 बजे चोरखेड़ी स्कूल के पास थाना नरसिंहगढ में बिना वैध अनुमति के लोहे का धार दार छूरा अपने कब्जे मे रखा, जो धारा 25(1बी) (बी)आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनिय है।

02— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी प्रेमनारायण पिता बद्रलाल रूहेला पर इस आशय का आरोप है कि दिनांक 09.02.2021 को समय शाम 06:30 बजे चोरखेड़ी स्कूल के पास नरसिंहगढ में पर बिना वैध अनुमति के लोहे का धार दार छूरा जिसकी कुल लंबाई 17 इंच, फल की लम्बाई 09 इंच एवं चौड़ाई 02 इंच,मुठ की लंबाई 5 इंच थी अपने कब्जे मे रखा, जो धारा 25(1बी) (बी)आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनिय अपराध है। इस आशय की सूचना पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट कि गई और विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03— प्रस्तुत प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं :—

01— '' क्या आपने दिनांक 09.02.2021 को समय शाम 06:30 बजे चोरखेड़ी स्कूल के पास थाना नरसिंहगढ में बिना वैध अनुमति के लोहे का धार दार छूरा अपने कब्जे मे रखा, जो धारा 25(1बी) (बी)आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनिय है?

——:: विचारणीय प्रश्न कं. 1 का सकारण निष्कर्ष ::——

04— उल्लेखनिय है कि प्रकरण मे अभियोजन साक्षी नारायण असा.1 ने अभियोजन कथा का लेशमात्र समर्थन नहीं किया है। इस साक्षी ने बताया है कि उसके सामने आरोपी से कोई सामान जप्त नहीं हुआ। यद्यपि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 1 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है लेकिन सूचक प्रश्न पूछने पर बताया है कि पुलिस ने खाली कागज पर हस्ताक्षर कराये थे।

05— अभियोजन साक्षी आरक्षक श्यामलाल असा 3 ने अपने न्यायालीन कथन में बताया है कि वह घटना दिनांक को थाना बोड़ा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। प्रधान आरक्षक भंवरसिंह को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति थेले में लोहे का धारदार छूरा

लेकर घुम रहा है और चिल्लाचोट कर रहा है। उसे घेराबंदी करके पकड़ा। पंचान के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी 2 तैयार किया गया जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी के कब्जे से छूरा जप्त किया था। उक्त छूरा रखने के संबंध में उसके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके कथन लिए थे। प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी का उसके ससूरालवालों से उसकी पत्नि को भेजने के विषय में विवाद हो रहा था और आरोपी के खिलाफ असत्य आधार पर जप्ती पत्रक बनाकर प्रकरण दायर किया है।

06– अभियोजन साक्षी भंवरसिंह परमार असा.2 ने अपने न्यायालीन कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वॉरंटी की तलाश करते वक्त उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति छूरा लिये घूम रहा है। इस सूचना से आरक्षक श्यामलाल को अवगत कराया। मौके पर आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रेमनारायण बताया। उसकी तलाशी लेने पर आरक्षक श्यामलाल एवं नारायण के समक्ष उसके कब्जे से छुरी जप्त कर जप्ती पंचानामा प्रदर्श पी 1 बनाया था। आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी 2 बनाया था। आरोपी के साथ मयमाल थाने आकर उसके विरूद्ध अपराध क्र.36/2021 दर्ज किया था और एफ.आई.आर प्रदर्श पी5 लेखबद्ध की थी। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि रवानगीसान्हा पेश नहीं किया है। यह थी स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन आरोपी का उसकी पत्नि से विवाद हो रहा था। इस बात की जानकारी न होना व्यक्त किया है कि आरोपी की पत्नि के मायके वाले आरोपी के साथ उसकी पत्नि को नहीं भेज रहे थे। यह भी स्वीकार किया है कि घटना स्थल का नक्शामौका तैयार नहीं किया है।

07– जप्तशुदा मुद्देमाल को साक्षी को दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी का कहना है की यह वही छूरा है जो आरोपी से जप्त किया गया था। इसे आर्टिकल ए1 से चिन्हित किया गया। यह भी दर्शित है कि इस ऑर्टिकल पर चपडाशील मौजूद नहीं है। मात्र जप्ती चिट चस्पा है।

08– आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने विवेचक के प्रतिपरीक्षण पर जोर देते हुए तर्क है कि आरोपी से हुइ जप्ती संदेहहास्पद है इसीलिए दोष मुक्त किया जाए। इस तर्क पर विचार किया गया। उल्लेखनीय है कि जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 1 एवं आरोपी से कथित रूप से जप्त ऑर्टिकल ए 1 के छुरी पर चपडाशील होना दर्शित नहीं है। **अभियोजन के इस लोप के कारण आरोपी से मोके से जप्तशुदा हथियार की वास्तविकता धुमिल हो गई है क्योंकि यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि जप्तशुदा छुरी वही छुरी है जो आरोपी से जप्त की गई थी। स्वतंत्र साक्षी नारायण ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त स्वयं विवेचक भवंरसिंह परमार असा.2 अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी का उसकी पत्नि से विवाद हो रहा था। ऐसे में कहीं न**

कहीं अभियोजन कथा में इस आशय का संदेह उत्पन्न होता है कि वास्वत में आरोपी का उसकी पत्नि से विवाद हो रहा था और उसके कब्जे से कोई छूरी जप्त ही नहीं हुई।

09— इन सभी सपरिस्थितियों के आलोक में अभियोजन अपना मामला **संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा** है। ऐसी दशा में आरोपी धारा 25(1बी) (बी)आयुध अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किये जाने के अधिकारी नहीं है। उपरोक्त समग्र विवेचना के परिणामस्वरूप अभियुक्त **प्रेमनारायण पिता बद्रीलाल रूहेला** को इस प्रकरण में संहिता की धारा 25(1बी) (बी)आयुध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के आरोपों से **दोष मुक्त** किया जाता है और जमानत मुचलके पर स्वतंत्र अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं और अभियुक्त को इस प्रकरण में स्वतंत्र किया जाता है।

10— दांडिक अपील क्र . 653/2007 विश्वजीत एवं अन्य विरूद्ध म.प्र . राज्य में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकरण में अनुसंधान, जांच और विचारण के दौरान अभियुक्त निरोध में दिनांक 22.02.2021 से दिनांक 01.03.21 तक अभिरक्षा में रहा है। इस आशय का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर अभिलेख में संलग्न किया जावे।

11— प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री मुल्यहीन होने से नष्ट की जावे।।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित एवं घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित।

(अदिति अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
नरसिंहगढ़ जिला—राजगढ़ (म.प्र.)

(अदिति अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
नरसिंहगढ़ जिला—राजगढ़ (म.प्र.)

ADITI AGARWAL

Digitally signed by ADITI AGARWAL
Date: 2026.07.13 16:08:09 +0530